पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०नं० 326 / 2025

1. सुनील कुमार पि0 मोहनलाल
2. महेश कुमार
3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र जगदीश
4. बिरमा देवी पत्नी जगदीश

जाति कुम्हार प्रजापति निवासीयान रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम्

1. मोहनलाल पुत्रगण सुरजाराम जाति कुम्हार प्रजापति निवासीयान रामपुरा उर्फ
2. जगदीश रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

3. रोशनी पुत्री सुरजाराम पत्नी महेन्द्र जाति कुम्हार प्रजापति निवासी रामसरा नारायण तहसील व जिला हनुमानगढ़

4. गीता पुत्री सुरजाराम पत्नी देवीलाल जाति कुम्हार प्रजापति निवासी मोटा वाला चक मसीतांवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।

5. मोहिनी पुत्री सुरजाराम पत्नी गणेशाराम जाति कुम्हार प्रजापति निवासी चक 8 एनडीआर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

6. चन्द्रकला पुत्री मोहनलाल पत्नी रामस्वरुप जाति कुम्हार प्रजापति निवासी मोहनमगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

7. नितलेश पुत्री मोहनलाल पत्नी सुनील कुमार जाति कुम्हार प्रजापति निवासी डबलीखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 21/8/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एव सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री करनैलसिंह व प्रतिवादी वकील महावीर वर्मा अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु परतुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतो एव प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चकनं0 1 एजी के खाता सं0 51 / 49 व 52 / 9 मे सुरजाराम के नाम की आराजी के वादीगण को ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार है घोषित किया जाता है व चकनं0 1 एजी के खाता सं0 51 / 49 व 52 / 9 मे से सुरजाराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी मे गै0मु0 रकबे को यथावत रखते

हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/8/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी।